

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/3711 /

जबलपुर, दिनांक 26/09/2020

श्री इंदल सिंह गौड़, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को श्याम सुन्दर अग्रवाल खितोल सिहोरा जिला जबलपुर से बी.ए त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रवेश लेने तथा अध्ययन करने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शारकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार वाजनी)
रजिस्ट्रार जनरल
for

पृष्ठाकान क्रमांक B/3712 /

जबलपुर, दिनांक 26/09/2020

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार प्रशा / कम-पी पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. वीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
 3. ज्याइट रजिस्ट्रार(एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. डिप्टी रजिस्ट्रर(एम) (समर्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. रजिस्ट्रार (डी.ई) के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(जुडिशियल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. सहायक स्थापना / प्रोटोकॉल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. श्री इंदल सिंह गौड़, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंगेष्ठित।


(प्रियदर्शिनी रायमाझी)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
for

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/3715

जबलपुर, दिनांक 26/09/2020

II-13-18/2020

श्रीमती मृदुला दुबे, नवगठित सेवा के सदस्य (Waterman), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 11.06.2020 से 15.07.2020 तक 35 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही/-
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/3716

जबलपुर, दिनांक 26/09/2020

II-13-18/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (मोप्र०) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 3428/स्थापना ग्वालियर, दिनांक 18/08/2020 के सदर्भ में श्रीमती मृदुला दुबे, नवगठित सेवा के सदस्य (Waterman) का आवेदन पत्र, कर्तव्य पर उपस्थित होने का आवेदन पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, कोविड-19 रिपोर्ट एवं संलग्न सहपत्र वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की 'अभिरचीकृति' इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न : -उपरोक्तानुसार।

- ✓ 2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
